sions) giving reasons for immediate legislation by the Unit Trust of India (Amendment) Ordinance, 1975, as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

12.07 hrs.

VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH BILL*

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for voluntary disclosure of income and wealth and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for voluntary disclosure of income and wealth and for matters connected therewith or incidental thereto"

The motion was adopted.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I introduce† the Bill.

12.7-1/2 hrs.

STATEMENT RE. VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH ORDINANCE, 1975 AND VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH (AMENDMENT) ORDINANCE, 1975

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I lay on the Table an explanatory statment (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975 and the Voluntary Disclosure of Income and Wealth (Amendment) Ordinance, 1975, as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha

12.08 hrs.

SMUGGLERS AND FOREIGN EXCHANGE MANIPULATORS (FORFEITURE OF PROPERTY) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the forfeiture of illegally acquired properties of smugglers and foreign exchange manipulators and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the forfeiture of illegally acquired properties of smugglers and foreign exchange manipulators and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I introduce the Bill.

12.09 hrs.

STATEMENT RE. SMUGGLERS AND FOREIGN EXCHANGE MANIPULATORS (FORFEITURE OF PROPERTY) ORDINANCE, 1975

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Smugglers

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 12-1-76.

†Introduced with the recommendation of the President.

[Shri Pranab Kumar Mukherjee]

and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property) Ordinance, 1975 as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

12.10 hrs ..

SALES PROMOTION EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) BLL—*Contd.*

MR. SPEAKER The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri K. V Raghunatha Reddy on the 9th January, 1976, namely.—

"That the Bill to regulate certain conditions of service of sales promotion employees in certain establishments, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration"

श्री राम सिंह भाई (इदौर) : श्रीमन्, मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं क्योंकि इस धंधे में काम करने वाले श्रमिकों के लिये अभी ऐसे कोई नियम नहीं थे और इस उद्योग के मालिकों को खुली छूट दे रखी थी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि काफी प्रयत्न करने के बाद भी बहुत देरी से यह बिल लाया गया है। मैं इस बिल की कुछ खामियों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि जब इतने सालों के बाद यह बिल लाया गया तो फिर राज्यों को बाद में अमल की भिन्न-भिन्न तारीखें निश्चित करने का अधिकार क्यों दिया गया? जब आप बिल लाये है तो आपको इस में ही शायद कर देना चाहिये था कि फला तारीख से इस बिल पर अमल होगा। मैं अनुभव के तौर पर कह रहा हूं कि राज्य सरकारों द्वारा अमल की तारीखें निश्चित करने में सालों गुजर जाते है और उन की तरफ से यही जवाब मिलता है कि हमें स्टाफ की व्यवस्था करनी है और उस दरमियान में उद्योग के मालिकों को जितनी भी काट छांट करनी होती है वह कर लेते हैं। पिछले अधिवेशन में ही इस बिल पर चर्चा होने वाली थी और कार्यक्रम की सूची पर भी आ गया था, हालांकि राज्य सभा इसे पास कर चुकी थी, मंत्री जी से भी चर्चा हुई थी कि आप ने जो वेतन की मर्यादा 750 रु० रखी है यह बहुत कम है, उस का कारण यह है कि जो विक्रय करने वाले कर्मचारी है वह श्रमिक नहीं है बल्कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट है और इस काम के भी माहिर होते है उन्हीं को इस में रखा जाता है। 750 रु० उन की वेतन की मर्यादा रखना उन के साथ मजाक है। जो छोटे मोटे उद्योग वाले है जिन में कम वेतन वाले लोग होते है उन पर यह बिल लागू हो जायगा, लेकिन जो बड़े बड़े कारखानेदार है इस व्यवसाय के और उन के जो वेतन वगैरह है वह 750 रु० से ज्यादा होते है, उन को इस से कोई फायदा नहीं होगा, कोई ग्रेचुटी बोनस नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप ने बोनस की मर्यादा 1600 तक रखी है बैंक आदि में भी यही रखी है। तो जो 750 रु० की मर्यादा रखी है यह एक तरह से मजाक की बात है क्योंकि अधिकांश लोग 750 रु० से ज्यादा वेतन पाते है।

दूसरी बात यह है कि ई०एस०आई० के अन्दर जो बिना पढ़े लिखे श्रमिक है जो झाड़ू लगाते है उन के लिये भी आप ने 1,000 रु० की मर्यादा रखी है। पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्दर भी 1,000 रु० की मर्यादा रखने जा रहे है जो बिल की सदन के सामने है। इसलिये इन बातों को देखते हुए इस बिल पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिस की नुक्ताचीनी की जाय। प्रमुख बात यह है कि इस को एक ही तारीख से सारे देश में लागू करना चाहिये। वेतन की जो मर्यादा 750 रु० रखी है इस को बढ़ा कर 1,000 रु० के ऊपर रखी जानी चाहिये। मंत्री जी कहेंगे कि इस के बारे में हम विचार करेंगे। हमने देखा है कि ऐसे